न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा
कंकु बाई बनाम देवराज पिता उंकार
प्रकरण संख्या – 139/2024
GCMS No. – 2024/517

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 139/2024
GCMS No. –2024/517

1. श्रीमती कंकुबाई पत्नी गोरधनलाल जाति कुम्हार उम्र 56 साल निवासी कृपाराम जी की खेडी तह० निम्बाहेडा राज०
2. गोरधनलाल पिता उंकार जी जाति कुम्हार उम्र 60 साल निवासी कृपाराम जी की खेडी तह० निम्बाहेडा राज०

..वादीगण

बनाम

1. देवराज पिता उंकार जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी कृपाराम जी की खेडी तह० निम्बाहेडा राज०
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०

..प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में आज दिनांक को वादिगण के अधिवक्ता श्री अनिल पाटीदार की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि ग्राम कृपाराम खेडी पटवार हल्का अरनियाजोशी की आराजी नम्बर 687/488 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 1 को इस आशय की स्थाई निषधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 का अवैध अतिक्रमण आधिपत्य जिस कदर भी मौके पर हो, उस पर से प्रतिवादी संख्या 1 का अवैध आधिपत्य हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कराया जावें एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार निम्बाहेडा के माध्यम से हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कराया जावें व किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें उसके किसी भी भू–भाग पर पुनः कोई कब्जा नहीं करें, मौके पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करें, शांतिपूर्ण तरीके से वादीगण को काबिज काश्त रहने दें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया गया

यह आज दिनांक 08.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:36:23 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा